न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 18/2018

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. सोहनलाल पुत्र गुलाराम जाति माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत		1. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति माली निवासी नयापुरा, दिल्ली दरवाजा रोड़ सोजतसिटी तह सोजत जिला पाली 2. केवलराम पुत्र गुलाराम जाति माली निवासी नयापुरा दिल्ली दरवाजा रोड़ सोजतसिटी तह सोजत पाली 3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र कुमार मेहता एवं श्री शान्ति प्रकाश माथुर अधिवक्तागण अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 12.11.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो तीनों सगे भाई है, इनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि की कृषि भूमि 1727, 1728, 1733, 1735/1, 1835, 1839 कुल किता 06 रकबा 2.6700 हैक्टर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का बहिस्सा बराबर–बराबर है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/3 – 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज हे। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बीच उक्त वादस्थ कृषि भूमि के मौके पर काश्त की सीमाओं को लेकर हमेशा अप्रार्थी सख्या 1 का विवाद रहता है ओर इस भूमि के आगे रोड़ आई हुई है, ओर उस रोड़ की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज तरीके से एक कमरे का निर्माण किया हुआ, जबकि रोड़ के उपर सभी का हिस्सा आता है। अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को रोड़ की तरफ की भूमि पर आने से रोकता है, उन्हे काश्त नहीं करने देता है। जबकि ऐसा करने का अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 को नहीं है, क्योकि संयुक्त खातेदारी की भूमि में सभी सहखातेदारों का भूमि के प्रत्येक हिस्से व ईंच पर हक व अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को काश्त करने में व्यवधान करता है। यहा तक की उन्हे कई बार काश्त से भी वंचित रहना पड़ता है, यहां तक की उनके हिस्से की मेहन्दी भी अप्रार्थी संख्या 1 जोर जबरदस्ती से काट कर ले जाता है, इसलिए प्रार्थी को उक्त बअनवान प्रकरण में वाद बंटवाड़ा का मजबूरन पेश किया है। उक्त वर्णित खसरान की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, काश्त की सीमा को लेकर हमेशा अप्रार्थी संख्या 2 को हल्के स्तर की भूमि देने की चेष्टा कर रहा है। जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को हल्की व कम उपजाउ भूमि पर काश्त करने देता

उप खण्ड अधिकारी
सोजत

Scanned with CamScanner

है। ऐसा करने का अधिकार अप्रार्थी को नही है, इसलिए प्रार्थी ने मजबूरन यह बंटवाड़ा का वाद पेश किया है। वादस्थ भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर प्रार्थी का 1/3 हिस्सा अलग करवाने का अधिकारी है। उक्त वर्णित खसरान की भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल का राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्सा है, जबकि मौके पर उसने अपने 1/3 हिस्से से ज्यादा भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। प्रार्थी संख्या 2 को उनके 1/3 हिस्सा पर काश्त भी नही करने देता है और धमकी देता है कि रोड़ की तरफ की भूमि मेरी है, तुम्हारा उसमें कोई हक व हिस्सा नही है। जबकि राजस्व रेकर्ड में तीनों की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। ऐसा करने का कोई अधिकार अप्रार्थी को नही है, इसलिए प्रार्थी ने राजस्व मूल वाद बाबत बंटवाड़ा न्यायालय हाजा में पेश किया है। उक्त वर्णित खसरान की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर प्रार्थी का 1/3 हिस्सा अलग किया जाकर उसकी अलग से जमाबंदी बनाकर व उसका अलग से नक्शा बनाकर अलग की जावे और साथ में स्थाई निषेधाज्ञा की ईश्तदुआ पेश की, कि प्रार्थी के 1/3 हिस्से के कब्जा काश्त में अप्रार्थी संख्या 1 दखल अन्दाजी नही करे इस आशय का वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ कृषि भूमि में नाजायज तरीके से बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये ताबड़तोड़ निर्माण कार्य शुरू कर दिया तथा रास्ते की भूमि पर मकान का एवं टांका तथा गट्टर आदि की खुदाई करवा बिना संपरिवर्तन करवाये निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। दिनांक 05.03.2018 को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को बिना बंटवाड़ा करवाये किये जा रहे निर्माण कार्य को रोकने एवं वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने का निवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को एलानिया कहा कि हर सूरत में रास्ते की तरफ आगे की भूमि पर मकान का निर्माण कार्य कर जमीन को हड़प कर लूंगा तथा पीछे की भूमि के लिए आवागमन का रास्ता भी नहीं रखूंगा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नाजायज तरीके से निर्माण कार्य कर रास्ते की तरफ की भूमि को हड़प करना चाहता है तथा प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर मेहरूम करने पर उतारू है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किये जाने तथा वादस्थ कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 दौराने दावा किसी प्रकार का निर्माण कार्य एवं बेचान, हस्तान्तरण, रहन, बक्सीस आदि न तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य नौकर एजेन्ट आदि से कराव, पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादस्थ कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा नाजायज तरीके से ताबड़तोड़ बिना संपरिवर्तन करवाये निर्माण कार्य करवाया जा रहा है तथा रास्ते की तरफ की भूमि को हड़प कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा है, इसलिए अपूरणीय क्षति हो रही तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वादस्थ भूमि पर बिना बंटवाड़ा करवाये किसी भू–भाग निर्माण कार्य करवाने से अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए रूकवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
चौहटन (...) बाड़

Scanned with CamScanner

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। **अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल की ओर से जबाब** प्रा0 पत्र दिनांक 21.08.2019 को पेश किया कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में जो वाद धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया हुआ है, वह वाद न तो ठोस न ही मजबूत तथ्यों पर पेश किया गया है। उस वाद संख्या 43/2012 में सम्पूर्ण कृषि भूमि का समावेश नहीं किया गया है। जबकि वादी एवं प्रतिवादी की अन्य कृषि भूमियों और भी है। जिनको साथ लेकर पूर्व में ही जुबानी बंटवाड़ा किया जा चुका है। जिसका उल्लेख जबाबदावा के विशेष उज्रात में किया हुआ हैं एवं जबाब प्रार्थना पत्र के विशेष उज्रात में किया जा रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि सोजत चक 2 में अवश्य स्थित है एवं रेवेन्यु रेकार्ड में जमाबंदी में अवश्य प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल व अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम के संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। परन्तु वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल एवं अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम के मध्य उनकी रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज संयुक्त खातेदारी की दर्ज अन्य कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम एवं बासनी तिलवाड़िया में स्थित के साथ 42 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता गुलाराम के द्वारा किया जा चुका है। जिस बंटवाड़े का चार्ट इस मूल वाद के जबाब दावा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' व नजरी नक्शे में परिशिष्ट आ, इ, ई, उ, ए एवं विशेष उज्रात में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत है। वादस्थ कृषि भूमि एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल एवं अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम के रेवेन्यु रेकर्ड वर्तमान जमाबंदी में सामलाती दर्ज सरहद मौजा सोजत चक प्रथम एवं बासनी तिलवाड़िया में स्थित कृषि भूमि का जुबानी बंटवाड़ा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता गुलाराम द्वारा उनके पुत्रों प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 में 42 वर्ष पूर्व किया जा चुका है व तब से उस कृषि भूमियों पर अपने अपने बंट के अनुसार शांतिपूर्वक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त है। वादग्रस्त कृषि भूमि की सीमाओं को लेकर के विवाद अब प्रार्थी करने लगा है। वादग्रस्त कृषि भूमि में से खसरा संख्या 1727 व 1728 अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में आयी हैं। खसरा संख्या 1727 की सुरक्षा हेतु अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल के पुत्रों रामलाल एवं श्यामलाल ने 22 वर्ष पूर्व पश्चिम दीवार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 को जानकारी में अप्रार्थी संख्या 1 की सहमति से बनाई व उन्होने उस पर 9 वर्ष पूर्व बासनी मुथा रोड़ साईड में अलग–अलग 4–4 कमरों का मकान बनवाया व दो गेट रखे तथा पानी के दो टांके अण्डर ग्राउण्ड डेढ ढंकी के बनवाये तथा 5 वर्ष पूर्व तक 6 कमरे, एक हॉल, एक कीचन, 2 खुले टीन सेड एवं 1 वर्ष पहले लैट्रींग व बाथरूम एवं वादस्थ कृषि भूमि के बाहर गट्टर एवं चारों तरफ दीवारे बनवायी, वह सब प्रार्थी एवं केवलराम की जानकारी में बनवाये। प्रार्थी का कथन है कि बासनी मुथा रोड़ पर अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल द्वारा एक कमरे का नाजायज रूप से निर्माण कराया, बिल्कुल गलत है। जब आपसी बंटवाड़े में से खसरा संख्या 1727 व 1728 अप्रार्थी सख्या 1 के वंट में आयी, उस समय यह कृषि भूमि बिगाड़ वाली भूमि थी। इस कृषि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (...) राज.

भूमि की बाड़ भी नहीं थी, बाहर के मवेशी व नील गाये इसमें प्रवेश कर बिगाड़ करती थी व यह भूमि अनउपजाउ थी। इसके पश्चिम दिशा में सेरिया ही था तथा वहां पर सड़क बासनी मुथा रोड़ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना वर्क्स के अन्तरगत स्वीकृत की गई एवं सड़क बनायी जाकर दिनांक 14.08.2008 को लोकापर्ण की गई। उस वक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 उक्त जमीन को अपने बंट में लेने के लिये तैयार ही नहीं थे। अब रोड़ बन जाने का मकान बन जाने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने मिलकर के लालच में वशीभूत होकर के वादी से यह वाद प्रस्तुत करवा दिया है व अब तक रोड़ पर सभी का हिस्सा आना बदनियत से बता रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्यत्र रोड़ पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम के वादग्रस्त कृषि भूमि के बंट की कृषि भूमि खसरा संख्या 1733, 1735/1 व 1835 में आने जाने के लिए रास्ते हैं जो इन खसरा नम्बरान के दक्षिण में स्थित रास्ते से है, जो रास्ता बासनी मुथा रोड़ से मिलता हैं व बेरा नवोड़ा से भी आने जाने का रास्ता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के बंट में आयी उनकी कब्जासुदा कृषि भूमि में काश्त करने से उनकों वंचित नहीं किया न कभी व्यवधान डाला न कभी उनके हिस्से की मेहन्दी को कभी काट कर ले गया। अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में आये खसरा संख्या 1727 में मकानों के पीछे की तरफ थोड़े से भाग में छितरे हुए मेहन्दी के पौधे लगे हुए हैं व खसरा संख्या 1728 में मेहन्दी नहीं है, केवल सावणु फसल प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र रामलाल एवं श्यामलाल बोते व लेते है। प्रार्थी ने बंटवाड़ा का वाद बिल्कुल ही गलत एवं झूठा अप्रार्थी संख्या 1 को ब्लैकमेल कर रूपये एठने व अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्रों रामलाल एवं श्यामलाल के मकानों में हस्तक्षेप करने की नियत से पेश किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में वर्णित तथ्य बिल्कुल गलत है। वादग्रस्त कृषि भूमि अन्य कृषि भूमियों के साथ–साथ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 में मध्य बंटी हुई है। फिर भी रेवेन्यु रेकर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सभी कृषि भूमियां संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। यदि आपस में बंटवाड़ा नहीं होता तो प्रार्थी सभी कृषि भूमि के बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत करता, केवल मात्र वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा का ही नही विवाद अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल नहीं बल्कि इस दावे की आड में प्रार्थी विवाद पैदा कर रहा है। आपसी बंटवाड़ा में अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल के कम कृषि भूमि आयी है व अन्यत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 अच्छी व उपजाउ कृषि भूमि अपने बंट में ले चुके हैं व इनके आम रोड़ पर सोजत चक प्रथम व बासनी तिलवाड़िया में आयी हुई हैं जो वे ले चुके है। प्रार्थी ने केवल वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा का वाद पेश किया हैं, जो कानूनन गलत है। सभी सम्पतियां को संयुक्त कर बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत करना होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 में वर्णित तथ्य गलत है। अप्रार्थी सांख्या 1 ने 1/3 हिस्से से न्यादा भूमि पर कब्जा किया हुआ नही है न नाजायज तरीके से कब्जा किया हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 वादग्रस्त कृषि भूमि उनके हिस्से में आयी कृषि भूमि पर काश्त कर रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुत्र रामलाल एवं श्यामलाल व परिवार के सदस्यों के वादग्रस्त कृषि भूमि के उसके बंट में आयी कृषि भूमि पर रहवास करते है, काश्त कर रहे है व उनकी मवेशी रख रहे है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने बंटवाड़े का यह प्रार्थना पत्र व वाद पत्र बिल्कुल गलत एवं झूठा पेश

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला पाली) राज.

Scanned with CamScanner

किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 में वर्णित तथ्य गलत है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य उनकी वादग्रस्त कृषि भूमि एवं सोजत चक प्रथम व बासनी तिलवाड़िया स्थित कृषि भूमि का आपस में बंटवाड़ा कर अलग अलग काबिज काश्त है। इसलिए प्रार्थी अब वादग्रस्त कृषिभूमि अप्रार्थी संख्या 1 के बंट एवं कब्जा काश्त में आयी हुई कृषि भूमि के सम्बन्ध कोई किसी तरह की निषेधाज्ञा व बंटवाड़ा की सहायता प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 में वर्णित तथ्यों का जबाब है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह बिलकुल ही गलत तथ्य दिये है कि अप्रार्थीगण ने वादस्थ भूमि में नाजायज तरीके से तावड़ तोड़ निर्माण कार्य शुरू करवाया जा रहा है। यह भी गलत लिखा है कि दिनांक 05.03.2018 को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को बिना बंटवाड़ा करवाये निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य को रोकने एवं वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने का निवेदन किया हो एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐलानिया कहा हो कि हर सूरत में रास्ते की तरफ आगे की भूमि पर मकान का निर्माण कार्य कर जमीन को हड़प कर लूंगा तथा पीछे की भूमि के लिये आवागमन का रास्ता नहीं रखूंगा। अप्रार्थी संख्या 1 पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 नाजायज तरीके से झूठा निर्माण कार्य कर रास्ते की भूमि की तरफ की भूमि को हड़प करना चाहता है तथा प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर मेहरूम करने पर उतारू है। पूर्व के पदों में दिये गये जबाब के अनुसार मकान बनवाया, एवं पानी के तथा पानी के दो टांके अण्डर ग्राउण्ड डेढ–डेढ टंकी के बनवाये जिनका नजरी नक्शा मूल वाद के जबाब दावा के साथ परिशिष्ट 'ऐ' पेश किया है। 5 वर्ष पूर्व 6 कमरे, एक हाल, कीचन, खुले टीन शेड व इसके बाद 1 वर्ष पहले अपने बंट में महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा हेतु लैटरीन तथा वादस्थ कृषि भूमि के बाहर गट्टर एवं चारों तरफ दीवार का निर्माण करवाया। वादस्थ कृषि भूमि खसरा संख्या 1727 में ही अप्रार्थी संख्या 1 का परिवार सहित रहवास है एवं उसी में अप्रार्थी संख्या 1 के 4 गाय माता, 1 भैस एवं बछड़े व बछड़ी का भी रहवास है। खसरा संख्या 1727 में जो सुरक्षा दीवार उतरी एवं पूर्वी बनी हुई है वह बहुत नीची है। जिसे फान्द कर के बाहर के अन्य मवेशी कुते सर्प आदि भी आ जाते है व नुकसान पहुंचाते है तथा इस खतरे में बने मकान में निवास करने वाली महिलाओं की निजता भंग होती है। इसलिये दीवार उंची उठानी है। पहले अप्रार्थी संख्या 1 की चारों गाय माता, भैस एवं बच्छड़ो व बच्छड़ी की सुरक्षा व छाव प्रदान करने हेतु घास फुस के औले बने हुए थे, जो बार–बार आंधी की वजह से उड़ जाते है व नष्ट हो जाते है। वर्तमान में औले पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके है। अप्रार्थी संख्या 1 की गाय माताएं, भैस, बच्छडा एवं बच्छडी को धूप में रहना पड़ता है, बारिस में भीगते रहते हैं, उनके चारा, वाटा, कुतर भी बारिस में भीगते है व आंधी में उड़ते है। जिसकी सुरक्षा हेतु अप्रार्थी संख्या 1 दीवारों को उंचा उठा कर उस पर टीन शेड लगा कर के सुरक्षा स्थल बना रहा है। जो भी प्रार्थी को नही सुहा रहा है। केवल इसे रूकवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रार्थना पत्र पद संख्या 8 में वर्णित तथ्य गलत है। वादग्रस्त जमीन का संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की होना गलत लिखा है। प्रार्थी के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला है और न ही

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा वर्तमान में कोई तावड़ तोड़ नाजायज तरीके से निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। निर्माण पूर्व में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की सहमति से ही करवाया गया है एवं कृषि कार्य में सुगमता हेतु रहवास व कृषि साज समान रखने हेतु निर्माण कार्य करवाया गया है। प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही हो रही है। उल्टा प्रार्थी के लालच व अप्रार्थी सख्या 2 से मिलीभगत के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को गलत कार्यवाहीयों की वजह से आर्थिक व मानसिंक अपूर्णीय क्षति हो रही है। अप्रार्थी संख्या 1 विरूद्ध प्रार्थी कोई किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं पा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 कोई किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करना न तो कानूनन है और न ही न्याय संगत अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही गलत प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी से खर्चा एवं हर्जा दिलाया जावें। **विशेष उजरात** के रूप में अंकित किया कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि के अलावा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी हक की कृषि भूमि खसरा संख्या 4992 रकबा 0.3100 हैक्टर रेवेन्यु रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी में इस कृषि भूमि में राजेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश कुमार परिहार का 1/2 अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल, अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम व प्रार्थी संख्या 1/2 हिस्सा दर्ज है। जो कृषि भूमि बेरा दुर्गावा की कृषि भूमि के नाम से विख्यात है। सरहद मौजा चक प्रथम सोजत खसरा सख्या 4998 रकबा 0.3100 हैक्टर रेवेन्यु रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी में इस कृषि भूमि में तुलसी पत्नी नेनाराम गहलोत माली 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सख्या 1 एक चम्पालाल, अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम, प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। जो कृषि भूमि भी बेरा दर्गावा की कृषि भूमि के नाम से विख्यात है। सरहद मौजा चक प्रथम सोजत खसरा संख्या 5030, 5033, 5034, 5061 कुल रकबा 0.4300 हैक्टर रेवेन्यु रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी में यह कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल, अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम व प्रार्थी 1/2 हिस्सा, सुगनी पत्नी बंशीलाल, राजेन्द्र, महेन्द्र, सम्पत पिसरान बंशीलाल, प्यारी पुत्री बंशीलाल 1/2 हिस्सा दर्ज है। जो कृषि भूमि बेरा नोकड़ा की कृषि भूमि के नाम से विख्यात है। सरहद मौजा चक प्रथम सोजत खसरा संख्या 5044, 5047, 5102 कुल रकबा 0.5400 हैक्टर रेवेन्यु की वर्तमान जमाबंदी में यह कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल, अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम व प्रार्थी के खातेदारी की दर्ज है। यह कृषि भूमि बेरा मायला आट की कृषि भूमि के नाम से विख्यात है। सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया खसरा संख्या 80, 81, 116 कुल रकबा 6.2900 रेवेन्यु रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी में यह कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल, अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम एवं प्रार्थी के खातेदारी हक की दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि के गत सैटलमेंट के खसरा संख्या 892, 892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 892/5, 892/6, 892/7, 892/8, 892/9, 892/9/1, 892/1/2, 892/10, 892/10/1 कुल 42 बीघा 3 बीस्वा यह कृषि भूमि रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 में भोलिया, गुला पिसरान लच्छा माली के खातेदारी हक की दर्ज थी। गुला प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल एवं अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम के पिता व भोलिया बड़े पिता थे। वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान सैटलमेंट के पश्चात् भौलिया, गुला पिसरान लच्छा के संयुक्त खातेदारी की दर्ज रही। वादग्रस्त कृषि भूमि एवं विशेष उजरात के पद संख्या 11 मे दर्ज कृषि भूमि का प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता गुलाराम ने अपने जीवनकाल में लगभग 42 वर्ष पूर्व बंटवाड़ा कर अपने पुत्रों को अलग अलग सुपर्दु कर जिसका चार्ट इस जबाब दावा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित है। वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रार्थी के बंट में खसरा संख्या 1735/1 रकबा 0.7200 हैक्टर एवं खसरा सख्या 1835 रकबा 0.5400 हैक्टर में से 0.17500 हैक्टर कुल 0.8950 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में खसरा संख्या 1727 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा संख्या 1728 रकबा 0.4500 हैक्टर कुल रकबा 0.8500 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 2 के बंट में खसरा संख्या 1733 रकबा 0.5300 हैक्टर व खसरा संख्या 1835 रकबा 0.5400 हैक्टर में से रकबा 0.3650 हैक्टर आयी। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि में से प्रार्थी के बंट में 0. 8950 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 2 के बंट में भी 0.8950 व अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में 0.8500 हैक्टर आयी है। स्पष्ट है कि अप्रार्थी सख्या 1 के बंट मे कम जमीन आयी है। जिसका नजरी नक्शा जबाब दावा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'आ' है। जिसमें प्रार्थी का बंट पीला रंग से, अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल का बंट भूरा रंग से व अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम का ब।अ आसमानी रंग से दर्शाया गया है। खसरा संख्या 1735 गत सैटलमेंट के खसरा संख्या 892/3 व 892/2 से बना है। जिनका रकबा 1.0400 हैक्टर दर्ज हुआ । भौलिया व गुला के बीच में वादग्रस्त कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुए भौलिया व गुला के संयुक्त खातेदारी हक की कृषि भूमि के बंटवाड़ा का वाद चला उस वाद के दौरान ही गुलाराम ने अपनी वादग्रस्त कृषि भूमि के साथ–साथ विशेष उजरात के पद संख्या 11 में दर्ज कृषि भूमि का बंटवाड़ा कर दिया। दौराने वाद भौलिया की मृत्यु हो गयी, तब भोलिया के पुत्र बंशीलाल का नाम भौलिया के स्थान पर दर्ज हुआ तथा उस वाद मे हुई डिक्री के अनुसार दिनांक 02.03. 1989 को वादग्रस्त कृषि भूमि का म्यूटेशन गुलाराम के नाम से स्वीकृत हुआ व भौलिया के हिस्से की कृषि भूमि का म्यूटेशन बंशीलाल के हक में स्वीकृत हुआ, खसरा संख्या 1735/1 गुलाराम के खसरा संख्या 1735/2 बंशीलाल के दर्ज हुआ, परन्तु ट्रैस नक्शा में तरमीम नहीं होकर खसरा संख्या 1735/1 पूरे रकबे पर दर्ज हो गया। नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में खसरा संख्या 1735/1 एक पीले रंग से दर्शाया गया है। उसका पूर्वी भाग 1735/2 बीना रंग से दर्शाया हुआ है। जो बंशीलाल के खातेदारी दर्ज का हुआ है। विशेष उजरात के पद संख्या 9 में से उप पद 'ए' में दर्ज कृषि भूमि में से 0.0150 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल के बंट में व 0.0150 हैक्टर राजेन्द्र कुमार के बंट में आयी, जबाब दावा के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'इ' में अप्रार्थी संख्या 1 के बंट की कृषि भूमि को भूरे रंग से दर्शाया गया है। उप मद संख्या 'बी' में दर्ज कृषि भूमि में से 0.0775 हैक्टर प्रार्थी के व 0.0775 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के बंट में आयी व 0.1550 हैक्टर तुलछी पत्नी नेनाराम के बंट में आयी। जिसे जवाव दावा के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ई' में प्रार्थी का हिस्सा आसमानी रंग से दर्शाया गया हैं व तुलछी को हिस्सा बीना रंग का दर्शाया गया है। उप पद सी में दर्ज कृषि भूमि में से अप्रार्थी सख्या 1 चम्पालाल के बंट में 0.1900 हैक्टर व राजेन्द्र, महेन्द्र एवं सम्पतराज पिसरान बंशीलाल, सुगनी पत्नि बंशीलाल व प्यारी पुत्री बंशीलाल के बंट में 0. 2400 हैक्टर आयी, जिस पर जवाब दावा के संलग्न नजरी नक्शा 'उ' में अप्रार्थी संख्या 1 एक चम्पालाल का बंट भूरे रंग से व महेन्द्र आदि का बंट बीना रंग से दर्शाया गया है उप

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (...) राज

Scanned with CamScanner

पद डी में दर्ज कृषि भूमि में से प्रार्थी के बंट में 0.2600 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 2 के बंट में 0.2600 हैक्टर आयी व 0.0200 हैक्टर सामलाती रहा। जिस जबाब दावा के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ऊ' अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम का बंट आसमानी रंग से दर्शाया गया है। उप पद ई में दर्ज कृषि भूमि में से खसरा संख्या 81 के दक्षिण में व पूर्व में खसरा संख्या 80 स्थित है। खसरा संख्या 81 व उसके दक्षिण में खसरा संख्या 80 के भाग को सम्मिलित करके उतर दक्षिण तीन भाग में व शेष बचे खसरा संख्या 80 के पूर्व एवं पश्चिम तीन भाग में बंटवाडे किये गये। इस उप पद ई में दर्ज कृषि भूमि में से प्रार्थी के बंट में रकबा 2.0966 हैक्टर अप्रार्थी सख्या 1 के बंट में 2.0967 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 2 के बंट में 0.0967 हैक्टर कृषि भूमि आई। जिसे प्रार्थी का बंट जबाब दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ए' में पीला रंग से अप्रार्थी संख्या 1 का बंट भूरे रंग से अप्रार्थी संख्या 2 का बंट आसमानी रंग से दर्शाया गया है। जिसमें प्रार्थी का कुछ हिस्सा मैन रोड़ पर स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 का भी पूरा हिस्सा मैन रोड़ पर है। वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 के बंट के खसरा संख्या 1727 में अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्रों रामलाल व श्यामलाल ने अप्रार्थी संख्या 1 की सहमति से माह मई सन् 2011 में विधुत कनेक्शन जून 2011 में जल कनेक्शन लिये व वे ही तब से लगातार सम्बन्धित विभाग से विधुत एवं जल उपयोग के बिल जमा करवा रहे तथा खसरा संख्या 1835 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 केवलराम के द्वारा संयुक्त रूप से ईटो के कजावा के लिये हरिकिशन कुम्हार को किराये पर दिया हुआ था, जिसमें उनका एक पानी का बड़ा अण्डर ग्राउण्ड होद (टांका) भी बना हुआ है। खसरा संख्या 1835 में आने जाने का रास्ता बेरा नवोड़ा से है। इस प्रकार अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं हर्जे खर्चे का अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी से दिलाये जाने की ईश्तदुआ की है। **अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जबाब प्रा0 पत्र पेश किया कि** प्रार्थी ने राजस्व मूल वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है, जो सही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक के खसरा संख्या 1727, 1728, 1733, 1735/1, 1835, 1859, कुल खसरा 06 कुल रकबा 2.6700 है, आई हुई अवश्य स्थित हैं उक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की अवश्य है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी 2 का 1/3 हक हिस्सा हैं। जो सहीं हैं। उक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी अवश्य स्थित है, जिसका सभी खातेदारी के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया हुआ नही है। अप्रार्थी संख्या 1 नाजायज तरीके से रास्ते पर स्थित भूमि को हड़प करने की नियत से निर्माण कार्य करता रहा है। जिसका अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 को कतई नही हैं। खसरा संख्या 1727 पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का बराबर बराबर हक व अधिकार हैं। यह सही है कि अप्रार्थी संख्या 1 को खसरा संख्या 1727 पर अकेले को निर्माण करने का कतई हक व अधिकार नहीं है। यह सही है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के कब्जा काश्त से दखलअंदाजी करता रहता है। यह सही है कि पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 सीमाओं को लेकर वाद विवाद करता

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (पाली) राज

Scanned with CamScanner

रहता है। यह सही है कि उक्त कृषि भूमि के प्रत्येक खसरा में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का समान व बराबर हक हिस्सा कब्जा काश्त है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 रोड़ की साईड जबरदस्ती उक्त कृषि भूमि को हड़प करना चाहता है। यह सही है कि अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 2 भी अपने 1/3 हिस्से की कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या की ओर किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी प्रार्थी को नही की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा नाजायज तरीके से खसरा संख्या 1727 में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 को निर्माण कार्य करने से रोका जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधिवक्ता मय अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 13.11.2019 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता मय **प्रार्थी की ओर से जवाबुल जबाब दिनांक 09.10.2019 को पेश किया कि अप्रार्थी संख्या** 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में सरहद मौजा सोजत चक प्रथम व बासनी तिलवाड़िया में स्थित कृषि भूमि का बन्टवाड़ा 42 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता गुलाराम के द्वारा किया जाना बताया है, जो गलत व झूठ है, अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाबदावा/जबाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' परिशिष्ट "आ.इ.ई.उ.ऊ.ए." एवं विशेष उजराते बिलकुल ही गलत झूठे बताये है, जबकि ऐसा कोई बंटवाड़ा मोके पर किया हुआ नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में वादस्थ कृषि भूमि एवं अन्य कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम एवं बासनी तिलवाड़िया में स्थित कृषि भूमि का जुबानी बंटवाड़ा गुलाराम के द्वारा उनके पुत्रों प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 में 42 वर्ष पूर्व किया जाना बताया है, जो सरासर गलत व झूठ हैं अप्रार्थी सख्या 1 ने जबाबदावा के इस पद में बताया कि "अप्रार्थी संख्या 1 चम्पालाल के पुत्र रामलाल व श्यामलाल ने 15 वर्ष पूर्व खसरा नम्बर 1727 की सुरक्षा हेतु पश्चिम दीवार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की जानकारी में अप्रार्थी संख्या 1 की सहमति से बनायी थी।" जो सरासर गलत व झूठ है, उक्त दीवार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने संयुक्त खर्चे से बनवाई थी, जिसमें प्रार्थी ने अपने हिस्से के 10,000/– रूपये दिये थे। उक्त दीवार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की संयुक्त व सामलाती थी, क्योकि उक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की सामलाती संयुक्त कब्जा काश्त की स्थित थी। जिस खसरा नम्बर 1727 पर प्रार्थी भी काबिज काश्त है, अप्रार्थी सख्या एक दो वर्ष पूर्व बासनी मुथा रोड़ साईड में अलग–अलग 4–4 कमरे का मकान बनाना, गेट रखना व पानी के दो टांके बनाना रखा है, जो गलत है। अप्रार्थी संख्या एक जोर जबरदस्ती से दावा पेश करने के बाद मुख्य सड़क की तरफ की भूमि को हड़प्प करने की नियत से अवैध रूप से तावड़–तोड़ निर्माण करवाया, जो अवैध एवं नातिक है। मुख्य सड़क पर तीनो खातेदारान के हक करने कृषि भूमि आई हुई स्थित है, अप्रार्थी संख्या एक खसरा नम्बर 1727 व 1728 को हड़प्प करे की, नियत से एवं प्रार्थी को बेदखल करने की नियत से बिलकुल ही गलत एवं झूठा नजरी नक्शा पेश किया है, प्रार्थी द्वारा परिशिष्ट "आ" बताये अनुसार कतई

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक ने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत विशेष उजरात के पद संख्या 11 में सरहद मौजा सोजत चक प्रथम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 4992, 4998, 5030, 5033, 5054, 5061, 5044, 5047, 5102 एवं बासनी तिलवाड़िया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 80, 81, 116 का भी बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है, अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 का बड़ा भाई है। उपरोक्त कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 ने बन्टवाड़ा होना बताकर नजरी नक्शा परिशिष्ट 'इ.ई.उ.ऊ. एवं 'ए' बिलकुल ही गलत व झूठा बताया है, ऐसा कोई बंटवाड़ा किया हुआ नही है, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "आ एवं "ऐ" बिलकुल ही गलत बनाया है। अप्रार्थी संख्या 1 की नियतबद्ध हो चुकी है, बासनी मुथा की मुख्य सड़क पर स्थित कृषि भूमि 1727 को अकेला हड़प्प करने की नियत से बिलकुल ही गलत एवं झूठा नजरी नक्शा पेश किया है। खसरा नम्बर 1735/1 रकबा 0.7200 हैक्टर व खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.5400 हैक्टर में से 0.1750 हैक्टर भूमि बंट में आना बताया, जो सरासर गलत व झूठ है, ऐसा कोई बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विशेष उजरात के पद संख्या 10 में भोलिया व गुला के बीच वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाबत् वाद चलना बताया है। उससे प्रार्थी कतई बाध्य नहीं है। क्योकि ऐसा वाद प्रार्थी के पिता गुलाराम व भोलाराम के बीच हुआ था। गुलाराम ने अपने हिस्से की कृषि भूमि का बंटवाड़ा होना बताया हो तो उसका इस वाद पत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योकि उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का भी हक निहित था। अप्रार्थी संख्या एक ने अन्य कृषि भूमि का भी भौतिक बंटवाड़ा होना बताकर बिल्कुल ही गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर नजरी नक्शे पेश किये है, जो बिलकुल ही गलत एवं झूठे है। ऐसा कोई बंटवाड़ा मौके पर किया हुआ नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने जबाबबुल जबाब पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित ईश्तदुआ स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.07.2019 को प्रस्तुत प्रा0 पत्र बाबत् तलबी पत्रावली एवं अर्जेन्ट सुनवाई प्रा0 पत्र जबाब प्रा0 पत्र का अध्ययन कर बहस सुनी जाकर पत्रावली मुकरर्र की गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.07.2019 को प्रस्तुत आदेश 39 नियम 07 सीपीसी की सुनवाई होकर स्वीकार कर तहसीलदार, सोजत को 1000/– रूपये की कोस्ट पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर मौका कमीश्नर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तलब की गई। न्यायालय हाजा पत्रांक/कोर्ट/2019/439 दिनांक 05.07.2019 द्वारा तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया।

दिनांक 13.07.2019 को तहरीरी फर्द मौका निरीक्षण भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी, वादी तथा प्रतिवादी की मौजूदगी में तैयार की गई। जो तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2019/2488 दिनांक 15.07.2019 द्वारा उक्त विवादित आराजी की मौका जांच करके रूबरू उभय पक्ष बरूवे मौका, मौका कमीश्नर रिपोर्ट पेश की कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार पटवार मण्डल सोजत 2 में उक्त खसरा नम्बर चम्पालाल, सोहनलाल, केवलचन्द पि0 गुलाराम कौम माली की खातेदारी भूमि है, जिसकी स्थिति के विवरण में अंकित किया कि खसरा नम्बर 1727 में निर्माण किया हुआ है। खसरा नम्बर 1727 में 110 फीट तक नजरी नक्शानुसार पक्का निर्माण है जो चम्पालाल पुत्र गुलाराम के कब्जे में उनके दोनो पुत्र

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

रामलाल व श्यामलाल का बना हुआ है। खसरा नम्बर 1727, 1728, 1859 में मौके पर 110 फीट निर्माण सहित इनके कब्जे में जिसमें शेष भूमि पर टेक्टर से खड़ाई की हुई है जो चम्पालाल पुत्र गुलाराम के द्वारा किया होना बताया तथा खसरा नम्बर 1859 में पुराना पड़वा की दिवारे है पत्थर की जिस पर किसी प्रकार की छत व दरवाजे नहीं है। खसरा नम्बर 1733 में केवलराम पुत्र गुलाराम की मेहन्दी फसल बोई हुई है तथा खसरा नम्बर 1835 के आधे हिस्से पर केवलराम का हिस्सा जहां पर एक पानी का टांका बना हुआ है जो ढका हुआ नही है जो केवलराम द्वारा बनाया हुआ बता रहे तथा मौके पर केवलराम उक्त कब्जे को नकार रहा है। खसरा नम्बर 1735/1 में सोहनलाल पुत्र गुलाराम माली द्वारा मेहन्दी फसल बोंई हुई है तथा कुछ भाग पर ताजी खड़ाई की हुई है। खसरा सख्या 1835 के आधे भाग पर सोहनलाल द्वारा ज्वार बोई हुई है जो उगी हुई नही है जो सोहनलाल की नही होकर केवलराम की है, मौके पर उक्त कब्जा अनुसार अपनी अपनी तारबन्दी की हुई है। मौके पर खसरा संख्या 1835 में टांका बना हुआ है तथा खसरा नम्बर 1859 में जो पडवा बना हुआ है उसके खण्डे सोहनलाल पुत्र गुलाराम का होना बताया है। मौका कमीश्नर के साथ फर्द मौका दिनांक 13.07.2019 मय फोटो छाया प्रति, नजरी नक्शा मौतबिरान/पक्षकारान हस्ताक्षर युक्त संलग्न पत्रावली है।

बहस वकुलाय प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट 1955 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की राजस्व रेकर्ड अनुसार संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का प्रत्येक खसरा नम्बरान की हर ईंच की भूमि में संयुक्त व सामलाती हक अधिकार व कब्जा काश्त है। किन्तु अप्रार्थीगण बिना बंटवाड़ा करवाये जमाबंदी में अंकित समस्त खसरान में से खसरा नंबर 1727 व 1728 की भूमि का 22 वर्ष से पूर्व उभयपक्षों के पूर्वजों के समय से मौखिक बंटवाड़ा कर दिये जाने के गलत तथ्य अंकित करते हुए विशिष्ट भू–भाग की सड़क से चिपते भूमि को अपने हिस्से की बताकर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। जिससे अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खसरा नंबर 1727, 1728, 1733, 1735/1, 1835 व 1839 कुल किता 06 रकबा 2.6700 हैक्टर की भूमि में से किसी भी भू–भाग पर कब्जा काश्त निर्माण कार्य आदि करने से अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक रोके जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस प्रा0 पत्र में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने व्यक्त किया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त एवं सामलाती भूमि अवश्य है। किन्तु आज से 22 वर्ष पूर्व उभयपक्षकारों के पूर्वजों के समय से किये गये मौखिक बंटवाडा अनुसार खसरा नंबर 1727, 1728 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में रखी गई, जिससे प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने एवं निर्माण कार्य करने से इन्हे रूकवाने के अधिकारी नहीं है। मौखिक बंटवाडा पक्षकारानों के पिता के समय से ही हो जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में सड़क से चिपते हुए भूमि आने से प्रा0 पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस में व्यक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने 2012 (1) DNJ [Raj.] पृष्ट संख्या 405 से 408 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरण पेश किया।

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने भी जबाब बहस के दौरान अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाये जाने की ईश्तदुआ करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को नाजायज एवं गलत होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र अप्रार्थीगण मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबावुल जबाब अधिवक्ता मय प्रार्थी तथा मौका कमीश्नर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं फोटो छायाप्रति का ध्यानपूर्वक गहनता से अध्ययन किया गया । बहस वकुलाय प्रा0 पत्र पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादग्रस्त भूमि में से ख0न0 1727 व 1728 की सड़क से चिपते भूमि में मौखिक बंटवाड़ा पूर्व में कर दिये जाने का उल्लेख/व्यक्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अविभाजित उभय पक्षों की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि पर स्वयं द्वारा निर्माण कार्य किया जाना गैर कानूनी एवं अवैध है। चूंकि अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र राजस्व रेकर्ड अनुसार संयुक्त व सामलाती कब्जे काश्त की भूमि में प्रत्येक ईंच की भूमि पर सामलाती कब्जे काश्त के आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। जिसका लिखित बंटवाड़ा हो जाने का कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। फलस्वरूप चूँकि मूल वाद में प्रस्तुत वादपत्र, जबाब दावा तनकियात कायम होकर दस्तावेजात एवं बाद साक्ष्य सबूतों के बहस सुनी जाकर उभय पक्षों में विधिक बंटवाड़ा/विभाजन विनिश्चित किया जा सकेगा। फलतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का इस प्रकार के अनुतोष के साथ स्वीकार किया जाना कि विवादग्रस्त सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय में स्थित खसरा नंबरान 1727, 1728, 1733, 1735/1, 1835 व 1839 कुल किता 06 रकबा 2.6700 हैक्टर भूमि की वर्तमान मौके की यथास्थिति (Status Quo) वाद निर्णय तक बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाना उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः उक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का स्वीकार योग्य होने से अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय में स्थित खसरा नंबरान 1727, 1728, 1733, 1735/1, 1835 व 1839 कुल किता 06 रकबा 2.6700 हैक्टर भूमि की वर्तमान मौके की यथास्थिति (Status Quo) वाद निर्णय तक बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner